राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांक :– ले.वि./ए.जी./2026/466 दिनांक : 31/07/2026

कार्यवाही विवरण

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2025 के निर्णय एवं सिंडीकेट की बैठक 25.04.2025 के आइटम संख्या 4 के रेजुलेशन की अनुशंषा के क्रम में **दिनांक 13.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे** सीनेट हॉल, कुलपति सचिवालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण निरीक्षण की विशेष जांच एवं विभागीय आंतरिक अंकेक्षण जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की समीक्षा हेतु कुलसचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसका उपस्थिति विवरण परिशिष्ट –। पर संलग्न है :–

1. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार महोदया के निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006–08 से वर्ष 2020–25 (सही अवधि 03/2024) एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं निरीक्षण विभाग की बकाया अनुपालना किये जाने हेतु विभागवार संबंधित विभागाध्यक्षों से उनके द्वारा अनुपालना किये जाने में आ रही समस्या पर चर्चा की गई चर्चानुसार संबंधित को शीघ्र नवीनतम अनुपालना प्रेषित करने हेतु कहा गया।
2. इसी क्रम में अवगत करवाया गया कि स्थानीय निधि अंकेक्षण एवं निरीक्षण विभाग की विशेष जांच अंकेक्षण प्रतिवेदनों के भी कई अनुच्छेद वर्षो से अनुपालना के अभाव में लम्बित है। अतः बकाया अनुच्छेदों की नवीनतम अनुपालना शीघ्र तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार महोदया के निर्देशानुसार सभी को अवगत करवाया गया कि स्थानीय अंकेक्षण विभाग का निरीक्षण प्रतिवेदन 4/2022 से 3/2024 विश्वविद्यालय में प्राप्त हो चुका है। जिसकी अनुपालना हेतु संबंधित को अतिशीघ्र भिजवाने हेतु लिखा जाकर अनुपालना रिपोर्ट चाही गई है। अतः उपस्थित समस्त को निर्देशित किया गया कि अनुपालना शीघ्र ही प्रेषित करावें।
4. आंतरिक अंकेक्षण में जारी किये गये आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित की जायें एवं तदनुसार आक्षेपों का निस्तारण शीघ्र करवाया जावें।
5. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार महोदया के निर्देशानुसार बैठक में उपस्थित विभागाध्यक्षों एवं यूनिट हैड्स को आश्वस्त किया गया कि महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण निरीक्षण की विशेष जांच एवं विभागीय आंतरिक अंकेक्षण जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का विवरण, यदि उपलब्ध नहीं है, तो अनुच्छेदों की छायाप्रतियां लेखा एवं वित्त विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
6. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार महोदया के निर्देशानुसार आगामी मीटिंग में समस्त ईकाई प्रभारियों को उपस्थित होना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
7. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार महोदया के निर्देशानुसार समस्त विश्वविद्यालय की शेष रही ईकाईयों के प्रभारियों को निर्देश दिये गये कि प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन का कार्य कराना सुनिश्चित करावें।

—Sd—
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार
दिनांक : 31/07/2026

क्रमांक : **ले.वि./एजी/2026/467-506**
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, कुलगुरू/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी समस्त (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) इकाईयाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सैन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

27/7/26
उप–कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

Meeting - 37